न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 42/2016

जीसीएमएस नम्बर :– 2016/00205

अनवान

1. ठाकुरजी स्थान देह खातेदार जरिये वादमित्र जगदीशदास आत्मज माधवदास बैरागी निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वदिया

बनाम

1. सुवालाल आत्मज खेमा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. घनश्याम आत्मज हजारी कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जगदीश आत्मज जोधा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. जगन्नाथ आत्मज उदा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. जगदीश आत्मज छोगा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. भंवरलाल आत्मज केंरिग कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. सुनील कुमार जैन – अधिवक्ता वादीगण
2. पर्वत सिंह चुण्डावत – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 6/11/25

1. प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सुरास तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में ठाकुरजी स्थान देह नाम की पर कृषि आराजियात स्थित है जिसका विवरण निम्न है

क.स.	आराजी संख्या	रकबा है0 में	वि.वि.
1	312	0.11	
2	313	0.11	
3	314	0.06	
4	215	0.09	
5	358	0.32	
6	404	0.08	
7	526	0.15	
8	527	0.08	
9	528	0.05	
10	659	0.26	
11	801	0.44	
12	802	0.43	
13	803	0.01	गै.मु. आचा
14	804	0.01	गै.मु. आचा
किता	14	2.20	

2. वादग्रस्त आराजियात पर वादी व उसके सहकुटुम्ब का आधिपत्य पूर्वजो के समय से ही चला आ रहा है अर्थात वादी ठाकुरजी स्थान देह के वं ाानुगत पुजारी है। प्रमाण में जमाबन्दी की प्रति पेश है। वादग्रस्त आराजियात ठाकुरजी स्थान देह के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज है किसी व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार का निर्माण करने का कानुनन अधिकार नही है। फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 आपस में दुरभि सन्धी कर वादग्रस्त आराजी संख्या 312 लगायत 315 पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर करीब 20–30 पत्थर ट्रीप डाल दिये पानी का होद बनाने हेतु खड्डा कर दिया उस पर प्रतिवादीगण चुनाई करवा रहे है। ऐसा करने का कानुनन कोई अधिकार नही है फिर भी प्रतिवादीगण इस तरह का कृत्य करने पर आमादा है जिससे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना आवश्यक है कि वादग्रस्त आराजियात पर मौके पर कोई निर्माण कार्य न तो स्वयं करे न अन्य से करावे।

3. अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी फरमाई जाए कि आराजियात संख्या 312 लगायत 315 पर किसी प्रकार से मौके पर कोई निर्माण कार्य न तो स्वयं करे, न किसी अन्य से करावें साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात में अवैधानिक तरीके से डाले गये पत्थरों को वहां से अपने खर्चे से हटवा ले तथा पानी के होद के रूप में बनाये गये खड्डे को अपने खर्चे से मिट्टी से पुनः भरवाये तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा उपयुक्त आदेश के बावजुद भी उक्त कार्य करे तो वह कार्य प्रतिवादी संख्या 7 के मार्फत कराया जावें।

4. प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किया गया। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह चुण्डावत उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 7 औपचारिक पक्षकार है।

5. प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकन किया कि वादग्रस्त भूमि पर ठाकुरजी स्थान देह का आधिपत्य है व उन्ही का कब्जा है। मूर्ति स्थान नाबालिक है और वादी ठाकुरजी स्थान देह के वंशानुगत पुजारी नही है। मंदिर कुमावत समाज व राजपूत समाज द्वारा ही बनाया गया है और इस मन्दिर की सेवा पूजा की सारी व्यवस्था इन समाज के लोग करते आये है। मन्दिर की पूजारी नियुक्त करने व उन्हे वापस हटाने का अधिकार कुमावत समाज के पास ही है। वादी को उनके अनुचित व्यवहार के कारण पुजा करने से वछित कर दिया है। वादी ने दिवानी न्यायालय का वाद गंगापुर में प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 5/2001 है और वह वाद दिनांक 27.09.2007 को खारीज हो गया है। ठाकुर जी स्थान देह पर त्यौहारो उत्सवों कुमावत समाज के लोग इकठ्ठे होते है, भोजन प्रसादी बनाते है और मन्दिर में भोग चढ़ाते है, उन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए होद बनाया गया है। ठाकुरजी स्थान की भूमि पर चारदीवारी का निर्माण किया गया जो उसकी सुरक्षा हेतु की गई वह भी किसी व्यक्ति वि ोश की नही है। कोई नोहरा नही है ठाकुरजी और वहा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए है। प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवायी जाने का वादी अधिकारी नही है और न ही किसी प्रकार की आदेशात्मक

निषेधाज्ञा ही जारी करवाने का अधिकारी है। अतः सादर प्रार्थना है कि वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व खारीज फरमाया जाए।

6. वादपत्र व जवाबदावे के आधार पर वाद में तनकी कायम की गई जो इस प्रकार है –

   1. आया कि वादग्रस्त भूमियां ठाकुरजी स्थान देह की होकर वादी नाबालिक है तथा जगदी ादास पिता माधवदास वैशणव (बैरागी) निवासी सुरास उसका वंशानुगत पुजारी है। जिम्मे वादी

   2. आया कि प्रतिवादीगण वादी की वादग्रस्त भूमियों पर निर्माण जबरन करवाना चाह रहे है जिससे उसके विरूद्व स्थायी निशेधाज्ञा की डिक्री जारी कराने के अधिकारी है। जिम्मे वादी

   3. आया कि उक्त मंदिर कुमावत समाज का मन्दिर है व इसकी सेवा पूजा देखभाल, प्रंबधन की सारी व्यवस्था कुमावत समाज ही करता आ रहा है व इसके सारे अधिकार कुमावत समाज के पास है तथा माध्सावदास का वादपत्र सिविल न्यायालय ने खारीज कर दिया जिससे जगदीशदास को उक्त वाद लाने का अधिकार नही है। जिम्मे प्रतिवादीगण

   4. आया कि प्रश्नगत निर्माण मन्दिर के हितार्थ या अन्य के हितार्थ कराया गया इसका वादपत्र पर क्या प्रभाव होगा। न्यायालय द्वारा विचारणीय बिन्दु

   5. अनुतोष ?

7. प्रकरण में साक्ष्यवादी में वादी ने शपथ पत्र पर बयान प्रस्तुत किये गये जिसमें अंकन किया कि ठाकुरजी स्थान के देह के नाम जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 में अंकित आराजियात कुल किता 14 कुल रकबा 2.20 है0 कृषि भूमियां दर्ज रेकार्ड है। वादग्रस्त आराजियात का उपयोग उपभोग वादी व उसके सहकुटुम्ब द्वारा किया जाता रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा करने की आ ाय से करीब 20–30 पत्थर ट्रीप डाल दिये पानी का होद बनाने हेतु खड्डा कर दिया उस पर प्रतिवादीगण चुनाई करवा रहे है। ऐसा करने का कानुनन कोई अधिकार नही है फिर भी प्रतिवादीगण इस तरह का कृत्य ठाकुरजी स्थान देह की भूमियों में कर लिया गया है जिसको हटाया जाना व प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा वादपत्र पेश करने बाद मौके पर कृषि भूमियों पर ताकत के बल पर अवैधानिक निर्माण कार्य को अजांम दे दिया गया है जिसको भी मौके पर से हटवाया जाना आवश्यक है।

वादी ने अपनी गवाही में बताया कि सन् 1620 से हमारे वंशज इस मन्दिर की पूजा अर्चना किये आ रहे है। मन्दिर निर्माण कुमावत समाज व राजपूत समाज द्वारा बनाया है यह कहना सही है। मन्दिर के बाल भोग की व्यवस्था उक्त समाज के लोग करते है। मेरे पिताजी से जो दावा किया वह दावा खारीज हो गया है। उक्त समाज के लोग मन्दिर में इकट्ठा होते है एवं भोजन प्रसादी करते है। यह कहना गलत है कि कुमावत समाज ने मन्दिर के चारो ओर बाउन्ड्री बनाई हो बल्कि बाउन्ड्री काफी समय पहले से बनी हुई थी किसने बनाई मुझे पता नही है। मेरे पिताजी व गांव वालो से अनबन के कारण हटा दिया गया लकिन उसके बाद मैने पूजा अर्चना की है। ठाकुरजी मन्दिर का कोई धर्मशाला नही बनी हुई होकर जबकि बोहरा डोली की भूमि पर बना हुआ है। मन्दिर पर पूजा करने का अधिकार कौन देता है मुझे

पता नही है। हमारा परिवार वंशानुगत पूजा करता आया है। मन्दिर में कोई निर्माण नही हो रहा है। डोली की भूमि पर हो रहा है।

8. प्रतिवादीगण को दिनांक 13.07.2023 को पत्रावली के साक्ष्य प्रतिवादी में आने के पश्चात् कई अवसर प्रदान किये गये परन्तु साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर दिनांक 23.01.2025 को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द कर दी गई।

9. वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी की ओर से केवल जवाब दावा प्रस्तुत किया गया कोई साक्ष्य नही दिया गया। खातेदार ठाकुरजी स्थान देह वादमित्र जगदीशदास है। मन्दिर मुर्ति नाबालिक हैं। पहले मन्दिर के पुजारी थे अब नही है। पुजारी रहने से वादग्रस्त भूमि की जानकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को निर्माण करने का कोई अधिकार नही है। आराजी संख्या 312 लगायत 315 में दिनांक 04.05.2016 को पानी का होद बनाया, निर्माण कार्य करना चाहते है। प्रतिवादी कुमावत समाज का नोहरा बनाना चाहते है। आराजी संख्या 312 से 315 में पानी का होद होई अन्य निर्माण किया हो तो उसे हटाया जावे। पानी के होद को भरा जाए। उपयोग उपभोग करने का अधिकार केवल पुजारी को है निर्माण कार्य का नही है। अतः वादग्रस्त आराजियात पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाए।

10. वादपत्र में तनकीवार निर्णय इस प्रकार है –

1. आया कि वादग्रस्त भूमियां ठाकुरजी स्थान देह की होकर वादी नाबालिक है तथा जगदीशदास पिता माधवदास वैष्णव (बैरागी) निवासी सुरास उसका वंशानुगत पुजारी है।

जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। तनकी के समर्थन में वादी द्वारा जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 जो कि प्रदर्श 1 जिसमें उक्त वादवर्णित भूमि ठाकुरजी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श 2 में वादवर्णित भूमि का नक्शा ट्रेस संलग्न है। प्रदर्श 4 जो कि जमाबन्दी संवत 2043 से 2046 में उक्त वादवर्णित भूमि ठाकुरजी स्थान देह पुजारी माधवदास पिता नन्दराम, प्यारदास, रामदास पिता नारायणदास, गोकलदास पिता मोहनदास बैरागी सा.देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत रेकार्ड से प्रमाणित होता है कि वादी के पूर्वज ठाकुरजी स्थान देह के पुजारी थे। वर्तमान में भूमि में पुजारी के नाम अंकित नही होकर ठाकुरजी स्थान देह के नाम पर दर्ज रेकार्ड है जिससे यह सावित होता है उक्त वादवर्णित भूमियां ठाकुरजी स्थान की है और मन्दिर मूर्ति के शाश्वत नावालिग है। उक्त तनकी वादमित्र वादी द्वारा साबित कराया गया जिससे उक्त तनकी का निर्णय बहक वादी किया जाता है।

2. आया कि प्रतिवादीगण वादी की वादग्रस्त भूमियों पर निर्माण जबरन करवाना चाह रहे है जिससे उसके विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी जारी कराने के अधिकारी है। जिम्मे वादी

इस तनकी को सावित कराने का भार वादी पर था। तनकी के समर्थन में वादी द्वारा वादवर्णित भूमि का रेकार्ड प्रस्तुत कर साविक कराया गया है परन्तु जबरन निर्माण करने के दस्तावेज, जबरन निर्माण करने से सम्बधित कोई साक्ष्य, दस्तावेज, मौके के चित्र, कोई बवाह आदि पेश नही किए गए है। साक्ष्य में स्वतंत्र गवाही नही करवायी गयी है। वादी केवल स्वयं के बयान व गवाही करायी गयी है। वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया हो जिससे यह साबित होता

है कि मन्दिर मूर्ति की भूमि पर विपक्षीगणो द्वारा जबरन निर्माण कार्य किया जा रहा हो। वादग्रस्त भूमियों पर प्रतिवादीगणों द्वारा निर्माण करना वादी द्वारा साबित नही कराने से वादवर्णित भूमियों पर प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः इस तनकी का निर्णय विरूद्व वादी किया जाता है।

3. आया कि उक्त मंदिर कुमावत समाज का मन्दिर है व इसकी सेवा पूजा देखभाल, प्रंबधन की सारी व्यवस्था कुमावत समाज ही करता आ रहा है व इसके सारे अधिकार कुमावत समाज के पास है तथा माधवदास का वादपत्र सिविल न्यायालय ने खारीज कर दिया जिससे जगदीशदास को उक्त वाद लाने का अधिकार नही है। जिम्मे प्रतिवादीगण

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर था। तनकी के समर्थन में प्रतिवादीगण साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज, साक्ष्य, गवाही प्रस्तुत नही की गई। प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से इस तनकी को साबित कराने में असफल रहे है। अतः उक्त तनकी का निर्णय विरूद्व प्रतिवादीगण किया जाता है।

4. आया कि प्रश्नगत निर्माण मन्दिर के हितार्थ या अन्य के हितार्थ कराया गया इसका वादपत्र पर क्या प्रभाव होगा। न्यायालय द्वारा विचारणीय बिन्दु

उक्त तनकी नही होकर न्यायालय द्वारा विचारणीय बिन्दु है। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज, प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा, वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने यह पाया कि वादी ने वादपत्र के समर्थन में निर्माण सम्बधित साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है। प्रतिवादीगण के जवाब में अंकित तथ्य को वादी द्वारा अपनी गवाही में स्वीकार किये गये है। वादी द्वारा अपनी गवाही में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब को स्वीकार किया गया कि मन्दिर कुमावत समाज द्वारा निर्मित है तथा उसकी देखभाल सेवा पूजा, प्रबन्धक की व्यवस्था कुमावत समाज द्वारा की जाती है। मन्दिर पर लोग इकठ्ठा होते है और भोजन प्रसादी होती है यह सभी तथ्य वादी द्वारा अपनी गवाही में स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा प्रश्नगत निर्माण बताया गया है परन्तु निर्माण से सम्बधित कोई साक्ष्य, दस्तावेज, या मौके के कोई चित्र प्रस्तुत नही किये गये जिससे प्रतीत होता है कि प्रश्नगत निर्माण किया गया है अथवा नही एवं प्रतिवादीगण द्वारा भी कोई साक्ष्य, दस्वेज प्रस्तुत नही किये गये है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के द्वारा प्रश्नगत निर्माण के साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से उक्त तनकी का निर्धारण संभव नही है।

11. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया एवं वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 जो कि प्रदर्श 1 जिसमें उक्त वादवर्णित भूमि ठाकुरजी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श 2 में वादवर्णित भूमि का नक्शा ट्रेस संलग्न है। प्रदर्श 4 जमाबन्दी संवत 2043 से 2046 में उक्त वादवर्णित भूमि ठाकुरजी स्थान देह पुजारी माधवदास पिता नन्दराम, प्यारदास, रामदास पिता नारायणदास, गोकलदास पिता मोहनदास बैरागी सा.देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी। जिससे प्रमाणित होता है कि वाद प्रस्तुत करने वाले वादमित्र जगदीशदास आतमज माधवदास बैरागी के पूर्वज मन्दिर के पुजारी रहे है और मन्दिर मूर्ति के शाश्वत नावालिग होने के कारण वादमित्र की हैसियत से न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। वादमित्र द्वारा साक्ष्य वादी में स्वयं के शपथ पत्र एवं बयान प्रस्तुत किये गये है

जो कि यह साबित करते हो कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात ठाकुरजी स्थान देह की भूमि पर कोई निर्माण करवाया जा रहा है।

राजस्थान धार्मिक भवन व स्थल अधिनियम–1954 की धारा के 6 के अनुसार

सार्वजनिक धार्मिक भवन का निर्माण आदि के सम्बन्ध में,

(1) कोई भी व्यक्ति, पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, कलेक्टर महोदय की बिना लिखित अनुमति

(क) कोई सार्वजनिक धार्मिक भवन का निर्माण करना या

(ख) किसी निजी या सार्वजनिक धार्मिक भवन में परिवर्तित करना

1. (2) उपधारा (2) में उल्लेखित किसी प्रयोजन के लिए अनुमति प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति पहले किसी स्थानीय प्राधिकारी या अधिकारी से अनुमति प्राप्त करेगा, जिसका उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र है जहां प्रश्नगत भवन या स्थान स्थित है और उसके बाद ऐसा व्यक्ति निर्धारित तरीके से अपेक्षित अनुमति के लिए कलेक्टर को आवेदन करेगा।

उपरोक्तानुसार वादपत्र का निस्तारण निम्न प्रकार से किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादमित्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत वादपत्र को साबित कराने में असफल रहा है। ग्राम सुरास तहसील रायपुर में निम्न आराजियात स्थित है :–

क.स.	आराजी संख्या	रकबा है0 में	वि.वि.
1	312	0.11	
2	313	0.11	
3	314	0.06	
4	215	0.09	
5	358	0.32	
6	404	0.08	
7	526	0.15	
8	527	0.08	
9	528	0.05	
10	659	0.26	
11	801	0.44	
12	802	0.43	
13	803	0.01	गै.मु. आचा
14	804	0.01	गै.मु. आचा
किता	14	2.20	

उक्त आराजियात ठाकुरजी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। चूंकि मन्दिर मूर्ति की भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण राजस्थान धार्मिक भवन व स्थल अधिनियम–1954 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप ही किया जाना कानून सम्मत है। अतः उक्त अधिनियम की धारा–6 के अनुसार उभयपक्षो को पांबद करते हुए आदेशित किया जाता है कि वादवर्णित भूमियों में सक्षम स्तर से स्वीकृति के पश्चात् ही किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाए। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 6/11/25 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर सुनाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/11/25

करूणा लाड़ोती

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर, जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 42/2016

जीसीएमएस नम्बर :– 2016/00205

अनवान

1. ठाकुरजी स्थान देह खातेदार जरिये वादमित्र जगदीशदास आत्मज माधवदास बैरागी निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. सुवालाल आत्मज खेमा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. घनश्याम आत्मज हजारी कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जगदीश आत्मज जोधा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. जगन्नाथ आत्मज उदा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. जगदीश आत्मज छोगा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. भंवरलाल आत्मज केंरिग कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादमित्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत वादपत्र को साबित कराने में असफल रहा है। ग्राम सुरास तहसील रायपुर में निम्न आराजियात स्थित है :–

क.स.	आराजी संख्या	रकबा है0 में	वि.वि.
1	312	0.11	
2	313	0.11	
3	314	0.06	
4	215	0.09	
5	358	0.32	
6	404	0.08	
7	526	0.15	
8	527	0.08	
9	528	0.05	
10	659	0.26	
11	801	0.44	
12	802	0.43	
13	803	0.01	गै.मु. आचा
14	804	0.01	गै.मु. आचा
किता	14	2.20	

उक्त आराजियात ठाकुरजी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। चूंकि मन्दिर मूर्ति की भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण राजस्थान धार्मिक भवन व स्थल अधिनियम–1954 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप ही किया जाना कानून सम्मत है। अतः उक्त अधिनियम की धारा–6 के अनुसार उभयपक्षो को पांवद करते हुए आदेशित किया जाता है कि वादवर्णित भूमियों में सक्षम स्तर से स्वीकृति के पश्चात् ही किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाए। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

डिक्री आज दिनांक 6/11/25 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

6/11/25

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)